आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख...तक

जिला..............मधुबनी ....वाद संख्या–05 /16–17

केश का प्रकार :– जमाबंदी रद्दीकरण वाद

अर्जीकार:– राजकुमार झा

प्रतिपक्षी–शंकर साह

आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में। टिप्पणी तारीख सहित।
6/5/17	अंचल अधिकारी, रहिका ने आम आदमी पार्टी की ओर से दी गयी सूचना के आलोक में अपने कार्यालय में जमाबंदी रद्दीकरण अभिलेख संख्या–1/16–17 संधारित कर बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव इस न्यायालय को दिया जिसके आधार पर इस न्यायालय द्वारा वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुये उभय पक्षों को सूचना देकर अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अंचल अधिकारी ने अपने कार्यालय में संधारित अभिलेख के आदेशफलक में लिखा है कि ककरौल उतरी पंचायत कपलेश्वर स्थान के शंकर साह पे. रतन साहएक जमीन खाता पुराना 29 नया 34 खेसरा पुराना 25 नया–77 युगल किशोर झा पे. स्व0रूपचन्द्र झा रकवा 0–0–10 (दस) धूर खरीदा जिसका दाखिल खारिज अंचल स्तर से किया गया। जब राजकुमार झा का लड़का मालगुजारी देने के लिए गया तो उससे मालगुजारी नहीं लिया गया तथा बताया गया कि उनके जमाबंदी से शंकर साह पे. श्री रतन साह का दाखिल खारिज कर दिया गया जिसके समाधान का आवेदन उनके द्वारा अंचल में दिया गया। अंचल अधिकारी रहिका ने वस्तु–स्थिति की जॉच हल्का कर्मचारी से कराते हुये अपने आदेशफलक में स्थिति का उल्लेख करते हुये लिखा है कि भूमि पूर्णतः रैयती है। भूलवश शंकर साह पे. रतन साह के नाम कायम जमाबंदी संख्या–38 को रद्द करने की अनुशंसा की। प्रतिपक्षी शंकर साह वकालतन पैरवी करते हुये उक्त वाद में प्रत्युत्तर दाखिल किया जिसमें लिखा है कि विपक्षी का जमाबंदी नं. 38 गलत जमाबंदी से खारिज होकर बना है जो कि निरस्त होना लाजमी वो जरूरी है। इस प्रकिया पर विज्ञ सरकारी अधिवक्ता का मंतव्य प्राप्त किया गया। जिन्होंने अपना लिखित मंतव्य दिया है कि शंकर साह ने युगल किशोर झा से जमीन खरीद किया है इसलिए युगल किशोर झा के जमाबंदी से क्रय की गयी भूमि खारिज कर केता के नाम से जमाबंदी कायम होना चाहिए था किन्तु भूलवश युगल किशोर झा के जमाबंदी से उक्त जमीन खारिज न करके उनके भाई राज कुमार झा के नाम कायम जमाबंदी से खारिज कर नया जमाबंदी नं. 38 बनाम शंकर साह कायम कर दिया गया है जो गलत है अतः वर्तमान जमाबंदी नं. 38 को रद्द करने का आदेश पारित किया जाय। उक्त वाद में आवेदक वकालतन/सहालतन कभी भी उपस्थित नहीं हुये। एक पक्षीय सुनवाई करते हुये वाद को आदेशार्थ रखा गया। अंचल अधिकारी, रहिका के प्रतिवेदन, राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन, प्रतिपक्षी का प्रत्युत्तर, विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी की अनुशंसा के आलोक में प्रश्नगत भूमि का विपक्षी के नाम गलत ढंग से कायम जमाबंदी संख्या–38 को रद्द किया जाता है। आदेश की प्रति समुचित अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, रहिका को उनके प्रतिवेदन के आलोक में भेजें। लेखापित 6/5/17 अपर समाहर्ता, मधुबनी। 6/5/17 अपर समाहर्ता, मधुबनी।	